भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 239
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

239. श्री अभिषेक बनर्जीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत कुल कितना बजट आवंटित और व्यय किया गया है और इसके आवंटन तथा व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से विज्ञापन और ब्रांडिंग पर व्यय की गई निधि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विज्ञापन अभियानों की प्रभावशीलता का आकलन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद तंत्र, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है कि किसानों को मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ में से महत्वपूर्ण धनराशि को अन्यत्र उपयोग न किया जाए?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग) पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ किसी बिचौलिए के बिना देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संवितरण किया है।

भारत सरकार और राज्य सरकारें पीएम-किसान के प्रचार के लिए कई गतिविधियाँ चलाती हैं, जिनमें नियमित अंतराल पर समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, सोशल मीडिया के माध्यम से आउटरीच, डीडी किसान पर कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इसके अलावा, मंत्रालय पीएम-किसान के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रचार/जागरूकता अभियान सहित प्रशासनिक खर्च भी प्रदान करता है।

*****